



प्रति,

माननीय अध्यक्ष महोदय,

हिन्द मजदूर खदान फेडरेशन

【हिन्द मजदूर सभा】

बिषय: जांच रिपोर्ट:

महोदय,

उपरोक्त बिषय जांच रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथन प्रस्तुत करता हूँ कि;

1. कोयला मजदूर सभा के सचिव 【केन्द्रीय】 कामरेड अमलेंदु कुमार बिश्वास द्वारा कोयला मजदूर सभा 【रजिस्ट्रेशन नम्बर 3040 एवं हिन्द मजदूर सभा से एफिलेशन नम्बर 45】 में ब्याप्त आर्थिक अनियमितताओं और मनमाने निर्णयों के संबंध में की गई शिकायत पर हिन्द मजदूर खदान फेडरेशन की कार्यकारणी समिति की बैठक दिनांक 21.09.2025 को विस्तृत चर्चा की गई और एक आंतरिक समिति के द्वारा इन शिकायतों की जांच करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के समय कामरेड नाथूलाल पाण्डेय महासचिव कोयला मजदूर सभा भी कार्यकारणी बैठक में उपस्थित रहे।
2. तदनुसार हिन्द खदान मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष कामरेड रेशमलाल यादव ने पत्र दिनांक 27.10.2025 के द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति का गठन कर जांच करने हेतु अधिकृत किया गया।
3. समिति के सदस्यगण कामरेड हरि यादव, उपाध्यक्ष 【केन्द्रीय】 कामरेड तरुन कुमार राहा सचिव 【केन्द्रीय】 एवं कामरेड अख्तर जावेद उस्मानी उपमहासचिव 【केन्द्रीय】 ने जांच में सबसे पहले शिकायतकर्ता कामरेड ए. के. बिश्वास का बयान दर्ज करने के बाद उस पर कामरेड नाथूलाल पाण्डेय का पक्ष जानने हेतु और संबंधित दस्तावेजों



को उपलब्ध कराने हेतु दर्ज बयान को कामरेड नाथूलाल पाण्डेय को भेजने का निर्णय लिया।

4. इसी निर्णय के आधार पर कामरेड अमलेंदु कुमार विश्वास का बयान दिनांक **30.11.2026** को रिकार्ड किया गया।

5. कामरेड ए. के. विश्वास ने अपना बयान के साथ अनेकों दस्तावेज भी प्रस्तुत किया

और समिति द्वारा उन सभी दस्तावेजों को ईमेल ID:

nathulalpandey@gmail.com द्वारा दिनांक **03.12.2025** को कामरेड

नाथूलाल पाण्डेय को बैंक पासबुकस् आदि सहित, उनके पक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु भेजा गया।

6. कामरेड नाथूलाल पाण्डेय द्वारा समिति के द्वारा भेजे गये कामरेड अमलेंदु कुमार विश्वास का बयान और प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

7. समिति की ओर से पुनः **20.12.2025** को ईमेल ID:

nathulalpandey@gmail.com से समस्त दस्तावेजों को कामरेड नाथूलाल पाण्डेय को भेजा गया। परंतु कामरेड नाथूलाल पाण्डेय ने इस मेल पर भी अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया या दस्तावेज नहीं दी।

8. दिनांक **21.09.2025** को कार्य समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ था कि आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को अगली कार्यकारणी समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा।

9. अगली कार्यकारणी की बैठक 2026, मार्च 19 एवं 20 को नार्दन कोलफील्डस् लिमिटेड में तय होने के बाद दिनांक 13 मार्च 2026 को पुनः पहले की दो मेल के संदर्भ में पुनः नाथूलाल पाण्डेय जी को भेजी गई है जिस पर कोई भी प्रतिक्रिया अप्राप्त है।



10. कामरेड अमलेंदु कुमार विश्वास के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों में यह वर्णन है कि कोयला मजदूर सभा को श्रमिकों से प्राप्त सदस्यता राशि को आदित्य ट्रान्समूवर्स प्राइवेट लिमिटेड को लोन पर दिया जाता था। इस कंपनी के संस्थापक डायरेक्टर स्वयं कामरेड नाथूलाल पाण्डेय थे और दो वर्षों के बाद उनके परिवार जन इस कंपनी के डायरेक्टर है।

11. रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को कोयला मजदूर सभा की ओर से जमा किये गये वैधानिक रिटर्न में आदित्य ट्रान्समूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अन्य संस्थानों को भी वृण देने का उल्लेख है।

12. कामरेड अमलेंदु कुमार विश्वास द्वारा 12 वर्षों के रिटर्न की कापी उपलब्ध कराई है जिसके अनुसार दो करोड़ छियासी लाख रुपये के वृण कोयला मजदूर सभा द्वारा उन कंपनियों को दिये गये हैं जिसके कामरेड नाथूलाल पाण्डेय या उनके परिजन डायरेक्टर हैं या रहें हैं।

13. कामरेड अमलेंदु कुमार विश्वास के अनुसार कोयला मजदूर सभा के महासचिव के रूप में गीयला श्रमिकों से प्राप्त सदस्यता धन को रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के घोषित उद्देश्यों से अलग व्यक्तिगत व्यवसाय में लगाया गया है जो विधि के विरुद्ध है।

14. इस कथित वृण का शोधन नाम मात्र को हुआ है। इस वृण पर ब्याज दर किसने तय की कितनी तय की थी, यह भी अज्ञात है। वृण की कुछ राशि माफ भी कर दी गई है।

15. कामरेड अमलेंदु कुमार विश्वास द्वारा वर्णित कंपनियों के डायरेक्टरों का विवरण भी दिया गया है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ कारपोरेट अफेयर्स की वेब

साईट पर डीआईएन और सीआईएन नम्बर IDIRECTOR
IDENTITIFICATION NO & COMPANY



IDENTIFICATION NOI सुविधा उपलब्ध है। इस वेबसाइट में कामरेड नाथूलाल पाण्डेय एवं उनके परिजनों के कोयला मजदूर सभा से तृण प्राप्त करने वाली कंपनियों के डायरेक्टर होने की पुष्टि की जा सकती है।

16. कामरेड अमलेंदु कुमार विश्वास द्वारा आदित्य ट्रान्समूवर्स प्राइवेट लिमिटेड की कुछ वर्षों की बैलेंसशीट भी प्रस्तुत की है परंतु उसमें कोयला माजदूर सभा से तृण प्राप्ति का कोई उल्लेख नहीं है। जबकि उन्हीं वर्षों में कोयला मजदूर सभा के रिटर्न में तृण देना दर्शाया गया है।

17. इन सभी दस्तावेजों को रिटर्न सहित, कामरेड नाथूलाल पाण्डेय महासचिव कोयला मजदूर सभा को प्रेषित करने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया प्राप्त न होने और बैंक पासबुक आदि दस्तावेजों को समिति को न उपलब्ध कराये जाने पर और न ही आदित्य ट्रान्समूवर्स सहित अन्य कंपनियों की स्वयं की या परिजनों की डायरेक्टरशिप से इन्कार न करने पर कामरेड अमलेंदु कुमार विश्वास के द्वारा प्रस्तुत पुष्टि योग्य दस्तावेजों को मिनिस्ट्री आफ कारपोरेट अफेयर्स की वेब साइट से भी पुष्टि कर यह सही पाया गया कि

अ. रिटर्न में वर्णित तृण प्राप्त करने वाली कंपनियों के डायरेक्टर भी कोयला मजदूर सभा के महासचिव कामरेड नाथूलाल पाण्डेय और उनके परिजन रहे हैं।

ब. कोयला मजदूर सभा के संविधान में वर्णित उद्देश्यों से परे जाकर स्वयं और परिजनों के व्यवसाय को तृण दिया जाना ट्रेड यूनियन के उद्देश्यों के विपरीत है।

स. इस तरह से सदस्यता राशि को पारिवारिक हित में आर्थिक लेनदेन अपने आप में संस्था निधि का न्यासी द्वारा न्यास भंग करता है। अपने आप में यह कई विधियों का उल्लंघन है।



Akhter Jawed: akhterkhongapani@gmail.com: 9770090427 : 9406085987

Assistant General Secretary: Hind Khadan Mazdoor Federation: HMS &

Representative: Hind Mazdoor Sabha: Tripartite Safety Board: Coal India Limited

POST: B/38: Khongapnee: M. C. B. Chhattisgarh: 497447

5 द. कामरेड नाथूलाल पाण्डेय महासचिव कोयला मजदूर सभा द्वारा बैंक एकाउंटस, फिक्स डिपोजिट्स, मिनेट्स उनके वितरण आदि उपलब्ध न कराये जाने से समिति द्वारा भारत सरकार की मिनिस्ट्री आफ कारपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट में जाकर डायरेक्टर आईडेंटिफिकेशन नम्बर और कंपनी आईडेंटिफिकेशन नम्बर से देखने पर उपलब्ध डाटा से इन कंपनियों के स्वामित्व की पुष्टि होती है। जैसा कि कामरेड अमलेंदु कुमार विश्वास ने अपनी शिकायत में वर्णित किया है।

ई उपरोक्त विवरण अनुसार यह निष्कर्ष है कि कामरेड नाथूलाल पाण्डेय महासचिव कोयला मजदूर सभा ने कोयला मजदूरों से ट्रेड यूनियन गतिविधियों से प्राप्त राशि को अपने और अपने परिजनों के स्वामित्व की कंपनियों को व्यावसायिक रूप से तृण देते थे जिसकी कोई ब्याज दर नहीं थी न ही ब्याज प्राप्त कोयला मजदूर सभा को प्राप्त होने की कोई प्रविष्टि रिटर्नस में नहीं दर्शायी गई है। इस तृण की राशि में से केवल एक वर्ष में रिटर्न में तृण वापसी ₹ देढ़ लाख मात्र रुपये दिखाई गई। एक रिटर्न में तृण माफी भी लगभग ₹ देढ़ लाख मात्र दर्शायी गई है। जबकि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार कथित तृण दो करोड़ छियासी लाख रुपये है। कोयला मजदूर सभा के एकाउंटस की व्यापक जांच होने से ही पूरी स्थिति की व्यापकता स्पष्ट हो सकती है।

कामरेड रेशमलाल यादव को रिपोर्ट प्रस्तुत है।

रेशमलाल यादव

19/3/26
अख्तर जवाहिर खान

समिति के लिये

19.03.2026

